2017 का विधेयक संख्यांक 46

[दि इंटर-स्टेट रिवर वाटर डिसप्यूट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1956 का 33

2. अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(क) ''अध्यक्ष'' से धारा 4ख में निर्दिष्ट अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(कक) ''विद्यमान अधिकरण'' से अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व गठित जल विवाद अधिकरण अभिप्रेत है;

(कख) ''सदस्य'' से अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है;

(कग) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(कघ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(ख) ''अधिकरण'' से धारा 4 के अधीन स्थापित अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण अभिप्रेत है;

(खक) ''उपाध्यक्ष'' से धारा 4ख में निर्दिष्ट अधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;'।

धारा 4 के स्थान पर नई धारा 4, धारा 4क, धारा 4ख, धारा 4ग और धारा 4घ का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना।

''4. ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, जल विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण नामक एक अधिकरण की स्थापना की जाएगी:

परन्तु अधिकरण की स्थापना की तारीख से ही सभी विद्यमान अधिकरण समाप्त हो जाएंगे और ऐसे विद्यमान अधिकरणों के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित जल विवाद अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे:

परन्तु यह और कि विद्यमान अधिकरणों के ऐसे अध्यक्ष और अन्य सदस्य जिन्होंने अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख को सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के अवसान पर पद पर नहीं रहेंगे:

परंतु यह भी कि कोई ऐसा विवाद, जो अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी विद्यमान अधिकरण द्वारा पहले ही न्यायनिर्णीत और तय किया जा चुका है, पुन: नहीं खोला जाएगा।

विवाद समाधान समिति।

4क. (1) जब कभी धारा 3 के अधीन किसी जल विवाद के संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त होता है, केन्द्रीय सरकार एक विवाद समाधान समिति स्थापित करेगी जो ऐसे सुसंगत क्षेत्रों के ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी जिन्हें वह सौहार्दपूर्ण रूप से विवाद का समाधान करने के लिए ठीक समझे।

(2) विवाद समाधान समिति, एक वर्ष की अवधि के भीतर, जिसे छह मास की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, बातचीत से जल विवाद का समाधान करने का प्रयास करेगी और केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(3) विवाद समाधान समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में—

(क) बातचीत के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा लिए गए अवलम्ब के ब्यौरे;

(ख) ऐसे अवलम्ब पर समिति के सदस्यों के विचारों के ब्यौरे; और

(ग) उससे संबंधित सभी सुसंगत तथ्यों, जानकारी और डाटा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा, कोई ऐसा जल विवाद, जो बातचीत द्वारा तय नहीं किया जा सकता है, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उसके न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।''।

4ख. धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और छह से अनधिक सदस्य होंगे, जो इस निमित्त भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, उन व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जो ऐसे नामनिर्देशन के समय उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं: अधिकरण की संरचना।

परंतु विद्यमान अधिकरणों के अध्यक्षों और अन्य सदस्यों को (ऐसे सदस्यों से भिन्न, जो धारा 4 के दूसरे परंतुक के अधीन पद पर नहीं हैं) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वे धारा 4ग के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस रूप में पद पर बने रहेंगे।

4ग. (1) अध्यक्ष, पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा। पदावधि।

(2) अधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, जल विवाद के न्यायनिर्णयन के साथ सहविस्तारी होगी और वे धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन न्यायपीठ के विघटन पर पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे:

परंतु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा। अधिकरण की न्यायपीठें।

4घ. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) अधिकरण की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा;

(ख) अध्यक्ष, तीन सदस्यों के साथ किसी न्यायपीठ का गठन कर सकेगा, जिनमें से ज्येष्ठतम सदस्य न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा:

परंतु किसी न्यायपीठ का कोई सदस्य किसी अन्य न्यायपीठ का सदस्य भी हो सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''ज्येष्ठतम सदस्य'' पद से अभिप्रेत है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी सदस्य से सदैव ज्येष्ठ होगा और उसकी ज्येष्ठता क्रमशः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जाएगी।

(2) अधिकरण की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली में और ऐसे अन्य स्थानों पर जिनका विनिश्चय अध्यक्ष कर, बैठकें करेंगी।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— धारा 5 का संशोधन।

''(1) अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार से किसी जल विवाद के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होने पर, ऐसा विवाद उसके न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण की किसी न्यायपीठ को सौंपेगा।

(2) अधिकरण की न्यायपीठ, उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट जल विवाद का अन्वेषण करने के पूर्व धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन विवाद समाधान समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करेगी और केंद्रीय सरकार को दो वर्ष की अवधि के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजेगी जिसमें जल के उपयोग से प्राप्ति, दक्षता और ऐसे अन्य विषयों को, जो विहित किए जाएं सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा पाए गए तथ्यों और ऐसे विवाद पर उसके द्वारा दिया गया विनिश्चय उपवर्णित होगा:

परन्तु ऐसी रिपोर्ट में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जल की प्राप्यता में कमी से उद्भूत कष्टप्रद अवस्थिति के दौरान जल के वितरण के लिए भी उपबन्ध किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से दो वर्ष की अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है तो केंद्रीय सरकार ऐसी अवधि को एक वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी।'';

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) ''ऐसे निर्देश पर अधिकरण'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे निर्देश पर अधिकरण की संबंधित न्यायपीठ'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु केंद्रीय सरकार एक वर्ष की अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी।''।

धारा 5क के स्थान पर नई धारा 5क और धारा 5ख का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 5क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

असेसरों की नियुक्ति।

''5क. (1) केंद्रीय सरकार, न्यायपीठ को प्रत्येक जल विवाद में उसके समक्ष की कार्यवाहियों में सलाह देने के लिए केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा में सेवारत ऐसे दो विशेषज्ञों को जो मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे के न हों, असेसर के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त असेसरों की पदावधि विवाद के न्यायनिर्णयन के साथ सह-विस्तारी होगी और वे विवाद के न्यायनिर्णीत होने तथा केंद्रीय सरकार को अंतिम रिपोर्ट अग्रेषित करने के पश्चात् असेसर नहीं रहेंगे।

रिक्तियों, अस्थायी अनुपस्थिति, आदि का भरा जाना।

5ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि किसी कारण से (अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद पर कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति को धारा 4ख के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा।

(2) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा उसके पद में कोई रिक्ति होने की दशा में, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट कोई नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(3) जब अधिकरण की किसी न्यायपीठ का कोई सदस्य अनुपस्थिति, रुग्णता के कारण या किसी अन्य कारणवश अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष, अधिकरण के किसी अन्य सदस्य को ऐसे सदस्य का कार्य, ऐसे सदस्य द्वारा फिर से कार्यभार संभाल लेने तक सौंप सकेगा।''।

धारा 6 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अधिकरण की न्यायपीठ के विनिश्चय का पक्षकारों पर आबद्धकर होना।

''6. अधिकरण की न्यायपीठ का विनिश्चय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उसका वही बल होगा, जो उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री का होता है।''।

धारा 9क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 9क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

डाटा बैंक और सूचना का बनाए रखा जाना।

''9क. (1) केंद्रीय सरकार, प्रत्येक नदी बेसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बैंक और सूचना प्रणाली को बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए एक अभिकरण नियुक्त या प्राधिकृत करेगी, जो ऐसी विशिष्टियों वाला और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जल संसाधनों, भूमि, कृषि और ऐसे अन्य विषयों से संबंधित डाटा बनाए रखेगी।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा, जब कभी अपेक्षा की जाए, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार को या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत अभिकरण को, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के संबंध में डाटा उपलब्ध कराएगी।

(3) केन्द्रीय सरकार या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण को राज्य सरकार से प्राप्त डाटा, अभिलेख या किसी अन्य सुसंगत सूचना को मंगाने और उसका सत्यापन करने की शक्ति होगी।''।

धारा 10 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''10. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों और असेसरों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।''। सदस्यों और असेसरों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— धारा 12 के स्थान पर नई धारा 12 और धारा 12क का प्रतिस्थापन।

''12. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिकरण की किसी न्यायपीठ को सौंपे गए किसी जल विवाद का न्यायनिर्णयन हो जाने तथा उसके विनिश्चय या रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, अध्यक्ष की सिफारिशों पर उस न्यायपीठ का विघटन कर देगी। न्यायपीठ का विघटन।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायपीठ का विघटन हो जाने पर, उस न्यायपीठ के सदस्य (अध्यक्ष को छोड़कर) क्रमश: अपना पद छोड़ देंगे:

परन्तु जहां किसी न्यायपीठ का कोई सदस्य किसी अन्य न्यायपीठ का भी सदस्य है वहां ऐसा सदस्य उस अन्य न्यायपीठ के सदस्य के रूप में बना रहेगा।

12क. (1) धारा 12 के अधीन अधिकरण की किसी न्यायपीठ का विघटन हो जाने पर, ऐसी विघटित न्यायपीठ के कर्मचारिवृंद, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,— विघटित न्यायपीठ के कर्मचारिवृंद और आस्तियां।

(i) किसी अन्य न्यायपीठ को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, यदि ऐसा अपेक्षित है; या

(ii) अपने मूल काडर में संप्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे।

(2) विघटित न्यायपीठ की आस्तियां और संपत्तियां केन्द्रीय सरकार को या संबंधित राज्य सरकार को, जिसने ऐसी आस्तियां या संपत्तियां उपलब्ध कराई हैं, अंतरित हो जाएंगी।''।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में खंड (क) से खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 13 का संशोधन।

''(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन किसी जल विवाद के बारे में परिवाद किया जा सकेगा;

(ख) अन्य विषय और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन जल की प्राप्यता में कमी से उद्भूत कष्टप्रद अवस्थिति के दौरान जल के वितरण की रीति;

(ग) ऐसे अन्य विषय, जिनके संबंध में धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां अधिकरण में निहित हो सकेंगी;

(घ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) ऐसे अन्य विषय, जिनके संबंध में धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन डाटा बनाए रखा जाएगा, उसकी विशिष्टियां और ऐसे डाटा बनाए रखने की रीति;

(च) धारा 10 के अधीन अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(छ) धारा 10 के अधीन उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों और असेसरों को संदेय भत्ते या फीस तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ज) वह रीति, जिसमें धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन विघटित न्यायपीठ के कर्मचारिवृंद के संबंध में विचार किया जाएगा;

(झ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है।''।

11. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''14. अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व गठित रावी और व्यास जल अधिकरण का विघटन हो जाएगा और उसके समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित जल विवाद, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे: रावी और व्यास जल अधिकरण से संबंधित मामले।

परन्तु संबंधित न्यायपीठ ऐसे विवाद में उसी प्रक्रम से कार्यवाही आरंभ करेगी जिस पर वह अंतरित किया जाता है।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्यों द्वारा जल की मांग में वृद्धि होने के कारण अंतरराज्यिक नदी जल विवादों में वृद्धि हुई है। तथापि, अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) में ऐसे विवादों पर ध्यान देने के लिए एक विधिक रूपरेखा का उपबंध किया गया है तो भी उसमें अनेक त्रुटियां हैं। उक्त अधिनियम के अधीन प्रत्येक अंतरराज्यिक नदी जल विवाद के लिए एक पृथक अधिकरण की स्थापना की जानी होगी। आठ अधिकरणों में से केवल तीन अधिकरणों ने ऐसे अधिनिर्णय दिए हैं, जिन्हें राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। यद्यपि, 26 और 27 वर्षों से क्रमश: कावेरी और रावी ब्यास जल विवाद अधिकरण विद्यमान हैं, तो भी वे अभी तक कोई सफल अधिनिर्णय देने में समर्थ नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में किसी अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए समय-सीमा नियत करने या किसी अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई ऊपरी आयु सीमा के लिए कोई उपबंध नहीं है। इसमें न तो किसी अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर कोई रिक्ति होने पर कार्य जारी रखने के लिए कोई प्रक्रिया है और न ही अधिकरण की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कोई समय सीमा है। इन सभी त्रुटियों के कारण जल विवादों के अधिनिर्णयन में विलंब हो रहा है।

2. अंतरराज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 अंतरराज्यिक नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन को सरल और कारगर बनाने तथा वर्तमान विधिक और संस्थागत संरचना को संतुलित बनाने के लिए है। विधेयक में ऐसे जल विवादों को अधिकरण को निर्दिष्ट करने के पूर्व, केन्द्रीय सरकार द्वारा सुसंगत क्षेत्रों से विशेषज्ञों को मिलाकर स्थापित की जाने वाली विवाद समाधान समिति के माध्यम से सौहार्दपूर्ण बातचीत द्वारा जल विवाद का समाधान करने के लिए एक तंत्र पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित विधेयक, अनेक अधिकरणों के स्थान पर (अनेक न्यायपीठों के साथ) एकल स्थायी अधिकरण का उपबंध करने के लिए भी है, जो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और छह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। अध्यक्ष की पदावधि पांच वर्ष की या सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी, जबकि अधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि जल विवादों के न्यायनिर्णयन के साथ सहविस्तारी होगी। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि असेसर, जो अधिकरण को तकनीकी समर्थन देता है, की नियुक्ति केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा में सेवारत ऐसे विशेषज्ञों में से की जाएगी, जो मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे के न हों। किसी जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए कुल समयावधि अधिकतम साढ़े चार वर्ष निश्चित की गई है। अधिकरण की न्यायपीठ का विनिश्चय, राजपत्र में उसके प्रकाशन की अपेक्षा के बिना, अंतिम होगा और संबंधित राज्यों पर बाध्यकर होगा।

4. प्रस्तावित विधेयक, प्रत्येक नदी बेसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शक डाटा संग्रहण प्रणाली का उपबंध करने के लिए भी है और इस प्रयोजन के लिए, डाटा बैंक और सूचना प्रणाली को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अभिकरण नियुक्त या प्राधिकृत किया जाएगा।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली;
1 मार्च, 2017.

उमा भारती

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3, अंतराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के स्थान पर, नई धारा 4, धारा 4क, धारा 4ख, धारा 4ग और धारा 4घ प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित धारा 4 अनेक न्यायपीठों के साथ एकल स्थायी अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना करने के लिए है, जिसका गठन प्रारंभ में पांच विद्यमान अधिकरणों का विलय करके किया जाएगा। चूंकि आवश्यक फर्नीचर के साथ विद्यमान परिसर पहले से ही उपलब्ध है, अत: नए स्थायी अधिकरण के कार्यालय की स्थापना के लिए किसी नवीन परिसर या फर्नीचर की अपेक्षाएं नहीं है। अत: इसमें कोई अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

इसमें विद्यमान पांच अधिकरणों का विलय करके अनेक अधिकरणों के बजाय अनेक न्यायपीठों के साथ एकल स्थायी अधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। नया अधिकरण एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और छह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। इसके अतिरिक्त, नए अधिकरण की स्थापना के पश्चात् विद्यमान अधिकरणों में मंजूर किए गए 107 पदों को कम करके 80 पद करने का प्रस्ताव है। अत: प्रस्तावित नए अधिकरण की स्थापना पर प्राक्कलित वार्षिक आवर्ती व्यय विद्यमान आठ करोड़ रुपए से कम होकर 5.5 करोड़ रुपए होने की संभावना है, इसके द्वारा 2.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत होगी।

विधेयक यदि अधिनियमित हो जाता है तो, इसमें कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 10, नियम बनाने की शक्ति से संबंधित धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (च) को प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है:—

(i) अन्य विषय और जल की प्राप्यता में कमी से उद्भूत तनावपूर्ण परिस्थितियों के दौरान जल वितरण की रीति ;

(ii) ऐसे अन्य विषय, जिसके संबंध में डाटा बनाए रखा जाएगा, विशिष्टियां, जो ऐसे डाटा में होंगी और वह रीति, जिसमें ऐसा डाटा अनुरक्षित किया जाएगा; और

(iii) वह रीति, जिसमें विघटित न्यायपीठ के कर्मचारिवृंद के संबंध में विचार किया जाएगा।

वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं, और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत: विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 33) से उद्धरण

*   *   *   *   *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ख) ''अधिकरण'' से धारा 4 के अधीन गठित जल विवाद अधिकरण अभिप्रेत है;

*   *   *   *   *

4. (1) जब धारा 3 के अधीन कोई अनुरोध जल विवाद के बारे में किसी राज्य सरकार से प्राप्त होता है और केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि जल विवाद बातचीत से तय नहीं किया जा सकता है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए, जल विवाद अधिकरण का गठन करेगी : अधिकरण का गठन।

परंतु अंतर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व अधिकरण द्वारा तय किए गए किसी विवाद को पुन: नहीं खोला जाएगा।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो इस निमित्त भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जो ऐसे नामनिर्देशन के समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों।

(3) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में अधिकरण को सलाह देने के लिए केंद्रीय सरकार, अधिकरण के परामर्श से, दो या अधिक व्यक्तियों को असेसर के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

5. (1) जब अधिकरण धारा 4 के अधीन गठित हो गया हो, तो केंद्रीय सरकार, धारा 8 में अंतर्विष्ट प्रतिषेधों के अध्यधीन जल विवाद और जल विवाद से सम्बद्ध या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट करेगी। जल विवादों का न्यायनिर्णयन।

(2) अधिकरण उन मामलों का अन्वेषण करेगा, जो उसको निर्दिष्ट किए गए हैं और वह केंद्रीय सरकार को, तीन वर्ष की अवधि के भीतर, एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य और उसको निर्दिष्ट मामलों पर उसके द्वारा दिया गया विनिश्चय उपवर्णित होगा :

परंतु यदि विनिश्चय अपरिहार्य कारणों से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं दिया जा सकता है, तो केंद्रीय सरकार, उक्त अवधि को दो वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी।

(3) यदि अधिकरण के विनिश्चय पर विचार करने पर, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की यह राय है कि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण अपेक्षित है या किसी मामले पर, जिसे अधिकरण को मूलत: निर्दिष्ट नहीं किया गया है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर, मामले पर और विचार करने के लिए अधिकरण को पुन: निर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे निर्देश पर अधिकरण एक और रिपोर्ट ऐसे स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन देते हुए, जो वह ठीक समझे, ऐसे निर्देश की तारीख से एक वर्ष के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजेगा और ऐसी दशा में, अधिकरण का विनिश्चय तद्नुसार उपांतरित किया गया समझा जाएगा :

परंतु एक वर्ष की उक्त अवधि को, जिसके भीतर अधिकरण अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को भेज सकेगा, केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

*   *   *   *   *

5क. यदि किसी कारण से अधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य का पद (अस्थायी अनुपस्थिति से अन्यथा) खाली होता है तो ऐसी रिक्ति धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस रिक्तियों का भरा जाना।

निमित्त नामनिर्देशित किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी और अधिकरण को निर्दिष्ट मामले का अन्वेषण रिक्ति भरे जाने के पश्चात् अधिकरण द्वारा उसी प्रक्रम से, जहां कि रिक्ति हुई थी, जारी रखा जा सकेगा।

अधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन।

6. (1) केंद्रीय सरकार अधिकरण के विनिश्चय का प्रकाशन राजपत्र में करेगी और वह विनिश्चय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा उनके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(2) अधिकरण के विनिश्चय का, केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में उसके प्रकाशन के पश्चात्, वही प्रभाव होगा, जो उच्चतम न्यायालय के आदेश या डिक्री का होता है।

* * * * *

डाटा बैंक और सूचना का बनाए रखना।

'9क. (1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक नदी द्रोणी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी डाटा बैंक और सूचना प्रणाली बनाए रखेगी जिसमें जल स्रोतों, भूमि, कृषि और उनसे संबंधित विषयों के संबंध में वह डाटा सम्मिलित होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विहित करे। राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार को या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अभिकरण को, जब भी अपेक्षित हो, उक्त डाटा का प्रदाय करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा प्रदाय किए गए डाटा का सत्यापन करने और उक्त प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने और ऐसे उपाय करने की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, शक्तियां होंगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को संबद्ध राज्य सरकार से ऐसे अभिलेख और सूचना समन करने की शक्तियां होंगी जो इस धारा के अधीन उनके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझी जाएं।'।

* * * * *

अधिकरण के अध्यक्ष और असेसरों के भत्ते या फीस।

10. अधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य और असेसर ऐसे पारिश्रमिक, भत्ते या फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।

* * * * *

अधिकरण का विघटन।

12. केंद्रीय सरकार, अधिकरण द्वारा रिपोर्ट भेज दिए जाने के पश्चात् और ज्यों ही केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि मामले में अधिकरण को कोई अतिरिक्त निर्देश आवश्यक नहीं होगा, अधिकरण का विघटन कर देगी।

नियम बनाने की शक्ति।

13.(1) * * * * *

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों द्वारा सभी निम्नलिखित मामलों पर या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति जिसमें कि किसी राज्य सरकार द्वारा जल विवाद के बारे में परिवाद किया जा सकेगा;

(ख) वे मामले जिनके बारे में अधिकरण में सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित हो सकेंगी;

(ग) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) अधिकरण के [7][अध्यक्ष और अन्य सदस्यों] को और असेसरों को संदेय पारिश्रमिक, भत्ते या फीस;

(ङ) अधिकरण के अधिकारियों और असेसरों की सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(च) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

* * * * *

रावी-व्यास जल अधिकरण का गठन।

14. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और पैरा 9.2 में निर्दिष्ट मामलों के सत्यापन और उनके न्यायनिर्णयन के लिए इस अधिनियम के अधीन एक अधिकरण का गठन कर सकेगी जिसका नाम रावी-व्यास जल अधिकरण होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकरण का गठन किया जाता है तब उसके गठन, अधिकारिता, शक्ति, प्राधिकार और अधिकारिता के वर्जन से संबंधित इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) और धारा 5क से धारा 13 तक की धाराओं के (दोनों धाराओं सहित) उपबंध, यथाशक्य, इसकी उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण के संबंध में गठन, अधिकारिता, शक्ति, प्राधिकार और अधिकारिता के वर्जन को लागू होंगे।

(3) जब किसी अधिकरण का उपधारा (1) के अधीन गठन किया जाता है तब केंद्रीय सरकार ही स्वप्रेरणा से या संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे अधिकरण को पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और पैरा 9.2 में विनिर्दिष्ट मामले निर्देशित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''पंजाब समझौते'' से 24 जुलाई, 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौते का ज्ञापन अभिप्रेत है।

GMGIPMRND—4843LS—07.03.2017.